लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)
(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/पदो./13/2021–22/843 अटल नगर दिनांक 26/08/2021

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय छ.ग.

विषयः– उ.श्रे.शि./प्र.पा.प्रा.शा. (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) पद से व्याख्याता टी संवर्ग पद पर पदोन्नति के संबंध में।

संदर्भः– छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह रायपुर का पत्र कमांक एफ 9–2/2008/1–6 दिनांक 16.12.2010

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत उ.श्रे.शि./प्र.पा.प्रा.शा. (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) पद से व्याख्याता टी संवर्ग पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले पात्र उ.श्रे.शि./प्र.पा. प्रा.शा. (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) का गोपनीय चरित्रावली का मतांकन एवं अचल संपत्ति विवरण उपलब्ध कराया गया है। संबंधितों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के समय संदर्भित पत्र का पालन किया गया है अथवा नहीं, के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण–पत्र 07 कार्यालयीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

"प्रमाणित किया जाता है कि पदोन्नति प्रस्ताव में अंकित उ.श्रे.शि./प्र.पा.प्रा.शा. (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) को उनके गोपनीय चरित्रावली में अंकित टीकाओं के संबंध में संसूचित किया गया है एवं इस संबंध में किसी प्रकार की दावा आपत्ति लंबित नहीं है। संबंधितों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण नहीं है तथा इनके पिछले पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली तथा संपत्ति विवरण कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है।"

संलग्नः–संदर्भित पत्र।

उप संचालक
AS लोक शिक्षण संचालनालय

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/पदो./13/2021–22/844 अटल नगर दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप संचालक
AS लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक एफ 9–2/2008/1–6

रायपुर, दिनांक 16/12/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित किया जाना।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5–4/98/एक/9, दि.13 जनवरी, 1999.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.1.1999 में शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने एवं गोपनीय चरित्रावली में अंकित सुझावात्मक/प्रतिकूल टीकाओं को संसूचित करने के संबंध में निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं तथा गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण की कार्रवाई के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1–7 में एवं इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8–12/82/का.प्र.सू., दिनांक 25 मई, 1982 एवं क्रमांक एफ 5–5/90/49/9, दिनांक 20 नवम्बर, 1990 में समुचित दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

2/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 7631/2002 – देवदत्त विरूद्ध केन्द्र शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.5.2008 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल, न्यायायिक, पुलिस या राज्य की अन्य सेवा (मिलिट्री को छोडकर) के लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को चाहे वह घटिया/औसत/अच्छी/बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हों, उन्हें संसूचित की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत आदेशात्मक (Mandatory) है अतः उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

3/ अतएव, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन के सभी विभाग, विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जब अंतिम मतांकन के उपरांत उन्हें संधारित करने वाले अधिकारी अर्थात् कस्टोडियन अधिकारी को प्राप्त होंगे तब वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाएं उन्हें एक निश्चित समयावधि में संसूचित करेगा एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को टीकाओं की संसूचना प्राप्त होने पर, उसकी प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उन टीकाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

तथा सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित समयावधि में उसका निराकरण समुचित रीति से किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यावेदन पर लिए गए अंतिम निर्णय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा।

4/ उपरोक्त निर्णयानुसार चूंकि अब अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित की जाएंगी, अतः गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाएं पृथक से संसूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5/ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की सभी टीकाएं संसूचित करने, उसके विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय से संबंधित को सूचित करने के संबंध में प्रक्रिया एवं समयावधि वही रहेगी, जैसी कि सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1–7 में एवं इस विभाग द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में प्रतिकूल टीकाओं की संसूचना एवं उनके विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिऐं निर्धारित है।

6/ शासन के सभी विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्णय का पालन उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों व उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों, तथा सभी निगम/मण्डल/आयोग/अभिकरण कार्यालयों में अनिवार्य रूप से किया जाए।

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 16/12/2010

पृष्ठां.क्र. एफ 9–2/2008/1/6

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
7. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
10. समस्त आयोग/निगम/मण्डल/अभिकरण कार्यालय, छत्तीसगढ़।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग